संख्याः 303 /ई–1/तेरह–2022–18/17 टी.सी.

प्रेषक,

निधि गुप्ता वत्स,
विशेष सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ.प्र., प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग–1 **लखनऊः दिनांकः 02 ~~जनवरी~~ फरवरी 2022**

विषयः–विभागीय भवनों की साफ–सफाई एवं अनुरक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन के संज्ञान में आया है कि आपके अधीनस्थ विभाग के भवनों यथा कार्यलयों/आवासों, दुकानों/गोदामों आदि में मात्र भवनों के आन्तरिक व प्रांगण की वाह्य सफाई पर ही ध्यान दिया जाता है। भवनों की छतों पर पेड़ों के जमाव एवं पानी निकासी वाले पाईपों में कचरा फंस जाने के कारण छतों में पानी भराव के करण नीचे के कमरों एवं अन्य स्थानों के कमजोर होने एवं प्लास्टर गिरने आदि के कारण अनुरक्षण में अनावश्यक खर्च भी आता है।

अतः साफ–सफाई एवं अनुरक्षण में व्याप्त कमियों के दृष्टिगत विभागीय भवनों की साफ–सफाई एवं सामान्य मरम्मत सुनिश्चित कराने हेतु निम्न निर्देशों का अनुपालन कराया जाना अति आवश्यक हैः–

(1) अपने अधीनस्थ समस्त सरकारी कार्यलयों/आवासों/दुकानों एवं गोदामों आदि की प्रत्येक वर्ष उच्च स्तरीय नियमित सफाई/अनुरक्षण सुनिश्चित कराया जाय।

(2) प्रायः छतों पर धूल मिट्टी की परत जमा होने के कारण घास उग जाती है, वर्षा होने पर नमी हो जाने के कारण छतों से सीलन परिलक्षित होती है। अतः छतों की नियमित/वर्षा पूर्व साफ सफाई अवश्य ही करायी जाय, जिससे वर्षा का पानी रूकने न पाये।

(3) पानी की निकासी हेतु खुर्रा/स्पाउट/रेन वाटर पाइप्स प्रायः धूल मिट्टी एवं पत्तियों से चोक हो जाते हैं, जिन्हें नियमित रूप से साफ किया जाय।

(4) छतों एवं दिवारों पर उगने वाले पौधें यथा पीपल, बरगद, पाकड आदि को जमतें ही उखड़वा दिया जाय, अन्यथा इनकी जड़ों से छतों तथा दीवारों के कैक होने की सम्भावना रहती है। यदि पूर्व में लापरवाहीवश उक्त पेड़ बड़े हो गये हैं तो उन्हें कटवाने के साथ–साथ उनकी जड़ों में मरकरी डाल दी जाय जिससे वह पूरी तरफ नष्ट हो जाय।

(5) छतों पर स्थित पानी की टंकियों की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाये तथा ओवर फ्लो एवं लीकेज रोका जाय; जिससे छत पर जल भराव न होने पाये और काई न लगे।

(6) छतों की सामयिक सामान्य मरम्मत स्थापित तकनीकी मापदण्डों के अनुरूप प्राथमिकता पर करायी जाय।

(7) नालियों/ड्रोन्स/सीवर की भी नियमित एवं वर्षा पूर्व सफाई अवश्यक ही करायी जाय।

(8) रेन वाटर हार्वेस्टिंग उपविधियों के अनुरूप भवनों की छतों पर पानी का सम्पूर्ण उपयोग ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु सुनिश्चित कराया जाय।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीया,

(निधि गुप्ता वत्स)
विशेष सचिव

संख्याः 303 **(1)ई–1/तेरह–2022, तद्दिनॉक**

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, विशेष सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव